न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली जिला टोंक (राज.)

(पीठासीन अधिकारी मनोज कुमार मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या :- 6/2011 निर्णय दिनांक :-09.06.2025

उनवानी दावा :

1. विमला देवी पत्नी भंवरलाल जाति बैरागी निवासी संथली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
2. मंजू पुत्री भंवरलाल जाति बैरागी निवासी संथली तहसील देवली हाल निवासी केकड़ी जिला अजमेर (राज.)
3. विवेकानन्द पुत्र भंवरलाल जाति बैरागी निवासी संथली हाल निवासी पटेल नगर देवली तहसील देवली जिला टोंक (राज)
4. सुरेश पुत्र भंवरलाल जाति बैरागी निवासी संथली तहसील देवली जिला टोंक (राज.
5. कमलेश कुमार पुत्र भंवरलाल जाति बैरागी निवासी संथली हाल निवासी पटेल नगर देवली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
6. ~~किशनलाल पुत्र रघुनाथ दास जाति बैरागी निवासी संथली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)~~

6/1 रतनलाल पुत्र स्व. किशनलाल जाति बैरागी निवासी संथली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

6/2 राधेश्याम पुत्र स्व. किशनलाल जाति बैरागी निवासी संथली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

6/3 गीता पुत्री स्व. किशनलाल जाति बैरागी निवासी संथली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

6/4 भगवान पुत्र स्व. किशनलाल जाति बैरागी निवासी संथली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)।

6/5 शांति देवी पत्नी स्व. किशनलाल जाति बैरागी निवासी संथली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

7. सत्यनारायण पुत्र नन्दराम जाति बैरागी निवासी संथली तहसील देवली जिला टोंक (राज)
8. भूरी बेवा नन्दराम जाति बैरागी निवासी संथली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
9. कैलाशी देवी पत्नी राधेश्याम जाति बैरागी निवासी संथली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
10. आशा पुत्री राधेश्याम जाति बैरागी निवासी संथली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
11. मनीषा पुत्री राधेश्याम जाति बैरागी निवासी संथली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
12. आशा राम पुत्र राधेश्याम जाति बैरागी निवासी संथली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

—वादीगण—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए जिला कलेक्टर टोंक (राज.)
2. तहसीलदार साहब तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
3. अतिरिक्त जिला कलेटर टोंक (राज.)

—प्रतिवादीगण—

उपस्थिति :—

श्री अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता वादीगण

पेरोकार सरकार
अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 3,

9.6.25

Scanned with OKEN Scanner

दावा उद्घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा 88, 188, 212 टिनेन्सी एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण की पैतृक संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे—काश्त की आराजीयात साबिक खसरा नम्बर 985 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 702 रकबा 0.98 है0, खसरा नम्बर 727 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 728 रकबा 2.10 है0 जो वाके ग्राम संथली तहसील देवली जिला टोंक में स्थित हैं। प्रकरण के समस्त तथ्यों के सही—सही समझाने के उद्देश्य से वादीगण संख्या 1 ता 8 के खान—दान का सर्जरा निम्नानुसार दर्शाया गया हैं जो अलग से पृष्ठ पर संलग्न हैं जो वाद का अभिन्न अंग हैं। सजरा (खानदान) के अनुसार रघुनाथ दास का स्वर्गवास हो गया हैं। जिनके वारिस भंवरलाल, किशनलाल व नन्दराम हैं। जिनमें से नन्दराम का भी स्वर्गवास हो गया हैं जिसके वारिस वादीगण संख्या 3 व 4 हैं एवं राधेश्याम हैं जिसकी मृत्यु हो चुकी हैं जिसके वारिस वादीगण संख्या 5 ता 8 हैं। साबिक खसरा नम्बर 985 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 702 रकबा 0.98 है0, खसरा नम्बर 727 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 728 रकबा 2.10 है0 पर वादीगण संख्या 1 ता 8 का कब्जा—काश्त हैं तथा अपने पूर्वजो के समय से खातेदारी एवं कब्जा चला आ रहा हैं और वर्तमान में भी उक्त आराजीयात पर वादीगण संख्या 1 ता 8 काबिज—काश्त हैं। वादीगण संख्या 1 ता 8 के पूर्वज रघुनाथ दास वल्द रामदास की खातेदारी एवं कब्जे—काश्त की संयुक्त साबिक खसरा नम्बर 985 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 702 रकबा 0.98 है0, खसरा नम्बर 727 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 728 रकबा 2.10 है0 तन ग्राम संथली तहसील देवली जिला टोंक में चली आ रही थी। जिसको राजस्व अधिकारियों ने वादीगण संख्या 1 ता 8 की उक्त आराजीयात को कम कर एवं गलत इन्द्राज कर नामान्तकरण संख्या 135 दिनांक 01.02.1996 के जरिए मंदिर ठाकुरजी चारभुजा जी के नाम में खातेदार के रूप में गलत इन्द्राज कर दिया हैं। जिससे वादीगण को खातेदारी अधिकारो से महरूम रखकर उक्त आराजीयात पर समस्त वादीगण के वैधानिक अधिकारो को समाप्त कर दिया हैं। जो कि एक अवैधानिक कृत्य हैं। जो नामान्तकरण गैरकानूनी एवं अवैध हैं तथा वादीगण के हितों के खिलाफ शून्य हैं। वादीगण का उक्त आराजीयात पर मालिकाना हक एवं कब्जा

9.6.25

Scanned with OKEN Scanner

अपने पूर्वजों के समय से ही चला आ रहा हैं। उक्त नामांतकरण के आधार पर हुए समस्त इन्द्राजात व राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन भी गैरकाननी व शून्य हैं और किसी प्रकार से उक्त वर्णित आराजी के सम्पूर्ण हिस्से में वादीगण के हितो एवं कब्जा को प्रभावित करने में सक्षम नहीं हैं तथा वह पुनः मंदिर ठाकुरजी चारभुजा जी के स्थान पर उनके रघुनाथ दास के वारिस वादीगण संख्या 1 ता 8 के नाम संस्थापित किये जाने योग्य हैं तथा पूर्व के अवैधानिक इन्द्राज एवं नामान्तकरण संख्या 135 को निरस्त कर राजस्व रिकार्ड में उनके आधार पर हुए इन्द्राज को निरस्त कर कलमजनयोग्य हैं। वादीगण को गलत इन्द्राज के समय जानकारी एन. एच. नम्बर 12 पर फोरलेन का काम शुरू होने पर चला कि वादीगण की उक्त सम्पूर्ण आराजीयात फोनलेन निर्माण के तहत अवाप्त कर ली गई हैं। जब वादीगण ने मुआवजा प्राप्त करने की कार्यवाही करनी चाही और पटवारी हल्का से उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड के दस्तावेज प्राप्त करना चाहे तो जमीन मंदिर ठाकुरजी चारभुजा जी के नाम खातेदारी अंकित हैं। वादीगण को अधिकार हैं कि वह मंदिर ठाकुरजी चारभुजा जी के नाम हुए गैरकानूनी व बिना अधिकार के राजस्व इन्द्राज को निरस्त करवाये तथा भूमि विवादग्रस्त को साबिक खसरा नम्बर 985 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 702 रकबा 0.98 है0, खसरा नम्बर 727 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 728 रकबा 2.10 है0 में दर्ज हैं, में अपना खातेदारी अधिकार घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाये तथा सरकार द्वारा फोरलेन निर्माण के लिए अवाप्त की जाने वाली आराजीयात के हिस्से का मुआवजा वादीगण के नाम करने के लिए प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किया जावे कि वे स्वयं जरिए नौकर–चाकर, एजेन्ट अधिनस्थ कर्मचारी/अधिकारी के वादीगण की उक्त वर्णित भूमि के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करे। वादीगण को उक्त आराजी से बेदखल नहीं करे और ना ही विवादित आराजीयात का मुआवाजा मंदिर ठाकुरजी चारभुजा जी के नाम करे। तथा उक्त आराजीयात को वादीगण की खातेदारी में लगाकर उक्त अवाप्त आराजी का मुआवजा वादीगण दिलवाया जावे। तहसीलदार देवली लेण्ड हॉल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया हैं। वाद कारण दिनांक 10.10.2010 को तब उत्पन्न हुआ जब वादीगण उक्त आराजी का राजस्व रिकार्ड निकाला और अपनी उक्त खातेदारी की आराजी मंदिर ठाकुरजी चारभुजा जी के नाम गलत रूप से इन्द्राज

9.6.25

होने की जानकारी प्राप्त होने के कारण उत्पन्न हुआ हैं जो निरन्तर जारी हैं। पेश वाद पत्र में राज्य सरकार को पक्षकार बनाये जाने के कारण दावा प्रस्तुत करने के दो माह पूर्व का धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक हैं। परन्तु वाद अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण वाद बिना नोटिस दिये ही पेश किया जा रहा हैं। वाद पेश की अनुमति के लिए धारा 80(2) का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया जा रहा हैं। वाद वादीगण ने घोषणा की, इंद्राज दुरूस्ती और स्थायी निषेधाज्ञा विवादित आराजी श्रीमान के क्षेत्राधिकार में होने से माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। वाद उचित कोर्टफीस पर अंदर मियाद पेश हैं।

वादीगण की अभियाचना हैं कि –

(अ) वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर साबिक खसरा नम्बर 985 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 702 रकबा 0.98 है0, खसरा नम्बर 727 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 728 रकबा 2.10 है0 व नामान्तकरण संख्या 135 दिनांक 01.02.1996 को अवैध एवं गैरकानूनी होने से वादीगण के अधिकारो के खिलाफ शून्य एवं बेअसर होने से निरस्त किये जाने एवं इसके आधार पर हुए राजस्व इन्द्राज को निरस्त कर वादीगण के नाम खातेदारी की घोषणा की जाकर राजस्व इन्द्राज वादीगण के नाम किये जाये तथा फोर लेने निर्माण के तहत अवाप्त की जाने वाली भूमि का मुआवजा प्रतिवादीगण नं, 3 से वादीगण को दिलवाया जावे।

(ब) प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किया जावे कि वे स्वयं जरिए नौकर–चाकर, एजेन्ट अधिनस्थ कर्मचारी/अधिकारी के वादीगण की उक्त वर्णित भूमि के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करे। वादीगण को उक्त आराजीयात से बेदखल नहीं करे और ना ही विवादित आराजीयात का मुआवाजा मंदिर ठाकुरजी चारभुजा जी के नाम करे। इस आशय की उनके विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री फरमाई जावे।

(स) खर्चा मुकदमा जो वादीगण के हक में प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे। अन्य कोई अनुतोष जो वादीगण के हक में हो दिलवाया जावे।

सजरा

रघुनाथ दास (फोत)

9.6.25

Scanned with OKEN Scanner

भंवरलाल — किशनलाल — नन्दाराम (फोत)

नन्दाराम (फोत) के:

सत्यनारायण — राधेश्याम — भूरी बेवा

राधेश्याम के:

कैलाशी देवी बेवा
आशा पुत्री मनीषा पुत्री
आशा राम पुत्र

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई।

जवाब दावा प्रतिवादी नं0 1 ता 3 की ओर से पेरोकार सरकार ने पेश किया जो इस प्रकार पेश है – वाद पत्र का पेरा नं0 1 वादी मुताबिक रिकॉर्ड से सिद्ध करे। पेरा न0 2 वादी स्वयं सिद्ध करे। पेरा न0 वादी स्वयं सिद्ध करे। पेरा नं0 4 अस्वीकार है । पेरा नं0 5 वादी स्वयं सिद्ध करें। पेरा नं0 7 अस्वीकार है। पूर्व में उक्त भूमि माफी मंदिर की थी तथा बाद में पुजारी के नाम खातेदारी में जर्द हुई है। पुनः नामा0 135 दिनांक 01.02.96 से राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक 13.12.91 सके उक्त भूमि मंदिर ठाकुर जी चार भूजा जी महाराज के नाम दर्ज हुई है। जो सही है। वादीगण को उक्त भूमि को अवाप्त भूमि का मुआवजा पाने का हक नहीं है। पेरा नं0 8 अस्वीकार है। पेरा नं0 9 वादी स्वयं सिद्ध करे। पेरा नं0 10 वादी द्वारा सीपीसी का नोटिस नहीं दिया है। पेरा नं0 11, 12 माननीय न्यायालय से सम्बन्धित है।

यह है कि उक्त भूमि साबिक रिकॉर्ड संवत 2008 में माफी मंदिर की भूमि है। वाद में पुजारी ने अवैध रूप से खातेदारी ली है, जो नाम. से वापस भूमि मंदिर चार भुजाजी महाराज के नाम दर्ज हुई है। जिस पर वादीगण को खातेदारी दिया जाना न्यायोचित नहीं है। न ही अवाप्त भूमि का मुआवजा पने का हक है। उक्त भूमि माफी मंदीर की होने से आर.टी.एक्ट 1955 की धारा 45 के अन्तर्गत खातेदारी देय नहीं है। वाद पत्र निरस्त फरमावे।

पत्रावली में तनकियात बिन्दू कायम कर सुनाये गये जो इस प्रकार है:–

9.6.25

नकियात बिन्दू:–

1. आया वादी गण विवादित ख. न. 702, 727, 728 की भूमि को राजस्व रेकार्ड में वादीगण के नाम खातेदारी कराने एवं नामान्तरकरण सं. 135 दिनांक 1.2.96 को शून्य एवं बेअसर कराने तथा प्रतिवादी सं. 3 से भूमि को जो फोरलेन में आ रही है का मुआवजा दिलवाने के आदेश कराने के हकदार है। साथ ही वादीगण को प्रतिवादीगण कब्जेकाश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करने बाबत प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के भी हकदार है ?

–वादीगण–

2. आया वादीगण के वाद में वर्णित भूमि मंदिर की होने से खातेदारी देय नहीं है, के कारण वाद खारिज योग्य है ?

–पेरोकार सरकार–

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

वादीगण द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–1 वादी सत्यनारायण पुत्र नन्दराम जाति बैरागी निवासी संथली तहसील देवली जिला टोंक (राज.), पी. डब्ल्यू–2 सुरेश पुत्र भंवरलाल जाति बैरागी निवासी संथली तहसील देवली जिला टोंक (राज) व पी. डब्ल्यू–3 विवेकानन्द पुत्र भंवरलाल जाति बैरागी निवासी संथली तहसील देवली जिला टोंक (राज.) का पेश किया।

वादी ने प्रदर्श डलवाये जो इस प्रकार है:–प्रदर्श–पी–1 खसरा गिरदावरी इलाका उनियारा तहत आंवा बाबत, प्रदर्श–पी–2 परचा लगान भू प्रबन्ध, प्रदर्श–पी–3 नक्शा ट्रेस, प्रदर्श–पी–4 जमाबन्दी सम्वत 2046, प्रदर्श–पी–5 जमाबन्दी सम्वत 2049–52, प्रदर्श–पी–6 पासबुक, प्रदर्श–पी–7 नामान्तकरण संख्या 135, प्रदर्श–पी–8 जमाबन्दी खेवट खतोनी 2032–35, प्रदर्श–पी–पी–9 खाता सं. 134 भू–प्रबन्ध, प्रदर्श–पी–10 नक्शा ट्रेस, प्रदर्श–पी–11 खसरा गिरदावरी मौजा सुन्थली, प्रदर्श–पी–12 मिलान क्षैत्रफल, प्रदर्श–पी–13 जमाबन्दी सं. 2053–56 पेश किये है।

पेरोकार सरकार ने साक्ष्य पी. डब्ल्यू–1 ता 3 से जिरह की जो कलमबद्ध होकर शामिल पत्रावली है।

9.6.25

Scanned with OKEN Scanner

अधिवक्ता वादी द्वारा आदेश 7 नियम 14 सीपीसी के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश किया जो बाद बहस स्वीकार करने से अधिवक्ता वादी द्वारा दस्तावेज पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने अपनी लिखित बहस पेश की जो इस प्रकार है:— संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक दावा माननीय न्यायालय मे इस आशय का पेश किया कि वादीगण की पैत्रक संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि साबिक खसरा नम्बर 985 रकबा 12 बीघा 10 बीसवा जिसके हाल खसरा नम्बर 702 रकबा 0.98 है०, खसरा नम्बर 727 रकबा 0.01 है०, खसरा नम्बर 728 रकबा 2.10 है० वाके ग्राम संथली तहसील देवली जिला टोंक राज० मे स्थित है। उक्त भूमि पूर्वजो के समय से ही वादीगण की खातेदारी मे चली आ रही है। उक्त भूमि वादीगण के पूर्वज रघुनाथ दास पुत्र रामदास की खातेदारी मे थी जिसको राजस्व अधिकारियों ने गलत रूप से नामांतकरण संख्या 135 दिनांक 01. 02.1996 के जरिये मंदिर ठाकुर जी चारभुजा जी के नाम बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के खातेदारी मे लगा दिया गया है। उक्त भूमि को खातेदारी लगाने का दावा माननीय न्यायालय मे पेश किया गया था जिसके बाबत लिखित बहस निम्न प्रकार प्रस्तुत है:—वादीगण द्वारा माननीय न्यायालय मे साक्ष्य व दस्तावेजी सबुत से अपने वाद को पूर्ण रूप से साबित किया है।वादीगण द्वारा जितने भी गवाह साक्ष्य के रूप मे प्रस्तुत किये है उन सभी गवाहान ने उक्त जमीन पर वादीगण का कब्जा माना है जिससे भी यह साफ है कि वर्तमान मे विवादित जमीन मे वादीगण का कब्जा है। वादीगण ने वाद पत्र के साथ खसरा गिरदावरी सम्वत 2020, 2037 पेश की है जिसमे भी वादीगण का नाम बतोर खातेदार दर्ज है। वादीगण द्वारा एक प्रमाण पत्र सरपंच, ग्राम पंचायत संथली भी प्रस्तुत किया है जिसमे सरपंच द्वारा यह लिखा गया है कि विवादित जमीन के वादीगण ही खातेदार काश्तकार है तथा उपरोक्त मंदिर ठाकुर जी चारभुजा जी महाराज नाम का कोई मंदिर ग्राम संथली मे नही है। विवादित भूमि सम्वत 2032—2035 की जमाबंदी मे वादीगण के पूर्वज रघुनाथ दास पुत्र रामदास की खातेदारी मे अंकित है तथा उनकी मृत्यु के बाद वादीगण के नाम विरासत का नामांतकरण खोला गया है जबकि प्रतिवादीगण द्वारा मंदिर बाबत कोई दस्तावेज साक्ष्य के रूप मे प्रदर्श नही करवाया

9.6.25

Scanned with OKEN Scanner

या है तथा ना ही कोई साक्ष्य प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत नही की गई है जिससे साफ जाहिर होता है कि प्रतिवादीगण ने वादीगण के वाद को मोन रूप से स्वीकार किया है। राजस्थान सरकार जयपुर के राजस्व विभाग के परिपत्र कमांक 3(2) राज. 6/2007/14 दिनांक 24.05.2007 के द्वारा एवं निबंधक महोदय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर के पत्रांक 636–689 दिनांक 06.01.2010 द्वारा समस्त संभागीय आयुक्त महोदय एवं समस्त जिला कलेक्टर महोदय को पत्र जारी कर परिपत्र दिनांक 24.05. 2007 की पालना कर राजस्व अभिलेख मे पुजारियों का नाम राजस्व रिकार्ड मे पुनः दर्ज करने के आदेश दिये गये थे लेकिन उक्त आदेश की कोई पालना नही की गई। वादीगण गरीब काश्तकार पेशा व्यक्ति है। उक्त जमीन के अलावा अन्य कोई जमीन वादीगण के पास नही है। वर्तमान मे ग्राम संथली मे उक्त मंदिर ठाकुर जी चारभुजा जी महाराज नाम का कोई मंदिर नही है तथा उक्त मंदिर की कोई मूर्ति भी ग्राम संथली मे नही है इस कारण उपरोक्त आराजीयात को वादीगण की खातेदारी मे लगाया जाना न्यायोचित एवं न्यायसंगत है। अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद डिकी किया जाकर वादीगण को हाल खसरा नम्बर 702 रकबा 0.98 है0, खसरा नम्बर 727 रकबा 0.01 है०, खसरा नम्बर 728 रकबा 2.10 है0 वाके ग्राम संथली तहसील देवली जिला टोंक राज० का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

पेरोकार सरकार ने भी लिखित बहस पेश की जो इस प्रकार हैः– तहसीलदार के पत्रांक 1377 दिनांक 20.05.19 से माननीय न्यायालय को प्रेषित ग्राम संथली की जमाबंदी सम्वत् 2016–2019 के खाता संख्या 202 पर साबिक ख0नं0 985/1/2 रकबा 12 बीघा 10 माफी मंदिर श्री चारभुजा जी महाराज देह हाजा पुजारी रूघनाथ बाबाजी बैरागी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अर्थात भूमि सम्वत् 2016–2019 में मंदिर के नाम दर्ज थी। वादीगणों के पूर्वज का नाम बतौर पुजारी दर्ज था। साबिक ख0नं0 985 से बने नवीन ख0नं0 702/0.98, 727/0.01, 728/2.10 को भूप्रबंध विभाग द्वारा मंदिर के नाम से विलोपित कर वादीगणों के पूर्वज रूघनाथदास पुत्र रामदास बैरागी के नाम अवैधानिक रूप से दर्ज कर दिया गया है। हाल ख0नं0 702/0.98, 727/0.01, 728/2.10 पूर्व में मंदिर श्री चारभुजा जी महाराज देह हाजा के नाम दर्ज होने एवं भूप्रबंध के पश्चात् असंवैधानिक रूप से

9.6.25

दग्रस्त भूमि मंदिर के स्थान पर पुजारी के नाम दर्ज कर दिये जाने से राजस्व ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 2(4) राज–4/90/37 दिनांक 13.12.1991 की पालना में तहसीलदार देवली द्वारा सक्षम आदेश जारी कर नामान्तकरण संख्या 135 से पुनः भूमि मंदिर के नाम दर्ज कर दी गई।

तनकीवार निर्णय

तनकियात बिन्दू:–

1. आया वादी गण विवादित ख. न. 702, 727, 728 की भूमि को राजस्व रेकार्ड में वादीगण के नाम खातेदारी कराने एवं नामान्तरकरण सं. 135 दिनांक 1.2.96 को शून्य एवं बेअसर कराने तथा प्रतिवादी सं. 3 से भूमि को जो फोरलेन में आ रही है का मुआवजा दिलवाने के आदेश कराने के हकदार है। साथ ही वादीगण को प्रतिवादीगण कब्जेकाश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करने बाबत प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के भी हकदार है ?

–वादीगण–

तनकी नं. 1 का निर्णयः– तनकी नं. 1 को साबिक करने का भार वादी पर था। वादीगण ने वाद के समर्थन में प्रदर्श करवाये जिनका विवेचन इस प्रकार है:–

प्रदर्श–पी–1 खसरा गिरदावरी सम्वत 1999 इलाका उनियारा तहत आंवा के अनुसार साबिक ख. नं. 985/1 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा 3 बिश्वांसी मिलकियत सरकार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।

प्रदर्श–पी–2 भू–प्रबन्ध विभाग का बन्दोबस्त कार्यवाही का परचा लगान में रूघनाथ दास पु0 रामदास जाति बैरागी सा. देह खातेदार के नाम ख. नं. 702 रकबा 0.98, ख. नं. 727 रकबा 0.01 है0 व ख. नं. 728 रकबा 2.10 है0 दर्ज रिकॉर्ड है।

भू प्रबन्ध, प्रदर्श–पी–3 नक्शा ट्रेस में हाल ख. नं. दर्शित है।

प्रदर्श–पी–4 जमाबन्दी सम्वत 2046 में रूघनाथ दास पु0 रामदास जाति बैरागी सा. देह खातेदार के नाम ख. नं. 702 रकबा 0.98, ख. नं. 727 रकबा 0.01 है0 व ख. नं. 728 रकबा 2.10 है0 दर्ज रिकॉर्ड है।

9.6.25

Scanned with OKEN Scanner

प्रदर्श–पी–5 जमाबन्दी सम्वत 2049–52 में वादीगण के नाम अन्य खसरा नम्बरो सहित विवादित ख. नं. 702 रकबा 0.98 है0, ख. नं. 727 रकबा 0.01 है0 व ख. नं. 728 रकबा 2.10 है0 दर्ज रिकॉर्ड है।

प्रदर्श–पी–6 पासबुक सम्वत 2026 में रूघनाथ दास जाति बैरागी के नाम साबिक ख. नं. 985/1 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा दर्ज रिकॉर्ड है।

प्रदर्श–पी–7 नामान्तकरण संख्या 135 के अनुसार कॉलम संख्या 7 में वादीगण का नाम सा. देह खातेदार के रूप में दर्ज है और कॉलम संख्या 8 में मन्दिर ठाकुर जी सा. देह खातेदार के नाम दर्ज हुआ व कॉलम संख्या 14 में उल्लेखित किया कि मुताबिक आदेश तह0 कार्या0 कमांक 4180/भू. अ. दिनांक 29.12.95 के तहत आदेश चस्पा किया गया।

प्रदर्श–पी–8 जमाबन्दी खेवट खतोनी सम्वत 2032–35 में ख. नं. 985/2 रकबा 12 बीघा 11 बिस्वा में कॉलम नं. 5 रूघनाथ वल्द राम दास कोम बैरगी सा. देंह का नाम दर्ज है।

प्रदर्श–पी–9 खाता सं. 134 भू–प्रबन्ध का प्रपत्र सम्वत 2046 में रूघनाथ दास पु0 रामदास जाति बैरागी सा. देह खातेदार के नाम ख. नं. 702 रकबा 0.98, ख. नं. 727 रकबा 0.01 है0 व ख. नं. 728 रकबा 2.10 है0 दर्ज रिकॉर्ड है।

प्रदर्श–पी–10 नक्शा ट्रेस सम्वत 1993–94 ख. नं. 985 दर्शित है।

प्रदर्श–पी–11 खसरा गिरदावरी मौजा सुन्थली सम्वत 1999 में साबिक ख. नं. 985/1 रकबा 14 बीघा मिलकियत सरकार के नाम दर्ज है।

प्रदर्श–पी–12 मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2046–65 के अनुसार साबिक ख. नं. 985 मि. से हाल ख. नं. 702 रकबा 0.98, ख. नं. 727 रकबा 0.01 है0 व ख. नं. 728 रकबा 2.10 है0 बनना दर्शित है।

प्रदर्श–पी–13 जमाबन्दी सं. 2053–56 ख. नं. 702 रकबा 0.98, ख. नं. 727 रकबा 0.01 है0 व ख. नं. 728 रकबा 2.10 है0 के खातेदार मन्दिर ठाकुर जी चारभुजा जी महाराज सा. देह खातेदर दर्ज रिकॉर्ड है।

9.6.25

तहसीलदार के पत्रांक 1377 दिनांक 20.05.19 से पेश जमाबन्दी सम्वत 2016–19 के अनुसार साबिक ख. नं. 985/1/2 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा माफी मन्दिर ठाकुर जी चारभुजा जी महाराज देह हाजा पुजारी रूघनाथ दास बैरागी सा. देह के नाम दर्ज है।

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 14 सीपीसी स्वीकार होने से वादीगण द्वारा पेश अन्य दस्तावेजता में पेश भू–प्रबन्ध विभाग के मिलान क्षैत्रफल अनुसार साबिक ख. नं. 985 मि. रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा से हाल ख. नं. 702 रकबा 0.98 है0, हाल ख. नं. 727 रकबा 0.01 है0 व हाल ख. नं. 728 रकबा 2.10 है0 बनना दर्शित है।

भू–प्रबन्ध का प्रपत्र सम्वत 2046 में रूघनाथ दास पु0 रामदास जाति बैरागी सा. देह खातेदार के नाम ख. नं. 702 रकबा 0.98, ख. नं. 727 रकबा 0.01 है0 व ख. नं. 728 रकबा 2.10 है0 दर्ज रिकॉर्ड है।

भू–प्रबन्ध के खसरा पत्रक सम्वत 2039 में रूघनाथ दास का नाम ख. नं. 702 रकबा 0.98, ख. नं. 727 रकबा 0.01 है0 व ख. नं. 728 रकबा 2. 10 है0 दर्ज रिकॉर्ड है।

उक्त प्रदर्शो, वादी द्वारा पेश दस्तावेजो व तहसीलदार देवली से प्राप्त दस्तावेजो के विवेचन से यह तथ्य सामने आते है कि सम्वत 1999 में साबिक ख. नं. 985/1 रकबा 14 बीघा मिलकियत सरकार के नाम दर्ज थी जो सम्वत 2016–19 के अनुसार साबिक ख. नं. 985/1/2 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा माफी मन्दिर ठाकुर जी चारभुजा जी महाराज देह हाजा पुजारी रूघनाथ दास बैरागी सा. देह के नाम दर्ज हो गई जो सम्वत 2032–35 में ख. नं. 985/2 रकबा 12 बीघा 11 बिस्वा में कॉलम नं. 5 रूघनाथ वल्द राम दास कोम बैरगी सा. देंह का नाम दर्ज रही। सेटलमेंट के समय साबिक ख. नं. 985 मि. रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा से हाल ख. नं. 702 रकबा 0.98 है0, हाल ख. नं. 727 रकबा 0.01 है0 व हाल ख. नं. 728 रकबा 2.10 है0 बनाते हुए रूघनाथ दास पु0 रामदास जाति बैरागी सा. देह खातेदार के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड कर दी गई। राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 13.12.1991 से नामान्तकरण

9.6.25

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 135 से विवादित भूमि को मन्दिर ठाकुर जी सा. देह खातेदार के नाम दर्ज की गई जो लगातार बाद के राजस्व रिकॉर्ड में चला आ रहा है।

चूंकि विवादित भूमि 2016—19 की जमाबन्दी अनुसार माफी मन्दिर ठाकुर जी चारभुजा जी महाराज देह हाजा पुजारी रूघनाथ दास बैरागी सा. देह के नाम ही थी परन्तु सेटलमेंट ने अवैधानिक रूप से वादीगण के पिता रूघनाथ दास पु0 रामदास जाति बैरागी के नाम खातेदारी के रूप में दर्ज कर दी गई जिसको नामान्तकरण संख्या 135 से पुनः राज. सरकार के परिपत्र दिनांक 13.12.91 से पुनः मन्दिर ठाकुर जी महाराज के नाम खातेदारी के रूप में दर्ज की गई। अतः भूमि पर वादीगण का विधिक अधिकार नहीं होने से वाद सारहीन व अवैधानिक होने से इस तनकी का निर्णय विरूद्ध वादीपक्ष प्रतिवादीगण के पक्ष में किया जाता है।

2. आया वादीगण के वाद में वर्णित भूमि मंदिर की होने से खातेदारी देय नहीं है, के कारण वाद खारिज योग्य है ? **—पेरोकार सरकार—**

इस तनकी को साबिक करने का भार पेरोकार सरकार पर था । तनकी नं. 1 के निर्णय अनुसार व पेरोकार सरकार द्वारा पेश जमाबन्दी सम्वत 2016—19 व राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 13.12.91 से बखूबी साबित किया है। अतः इस तनकी का निर्णय विरूद्ध वादीगण पेरोकार सरकार के पक्ष में किया जाता है।

आदेश

उक्तानुसार विवेचन व विश्लेषण से यह साबित है कि वादीगण द्वारा वाद को राजस्व दस्तावेजी व विधिवत साक्ष्यो से साबित नहीं करने के कारण वाद वादीगण खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास दिनांक 09.06.2025 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी...

मुकाम देवली व अलजाम श्री मनोज कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक..........

....

उनवानी दावा :

1. विमला देवी पत्नी भंवरलाल जाति बैरागी निवासी संथली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
2. मंजू पुत्री भंवरलाल जाति बैरागी निवासी संथली तहसील देवली हाल निवासी केकड़ी जिला अजमेर (राज.)
3. विवेकानन्द पुत्र भंवरलाल जाति बैरागी निवासी संथली हाल निवासी पटेल नगर देवली तहसील देवली जिला टोंक (राज)
4. सुरेश पुत्र भंवरलाल जाति बैरागी निवासी संथली तहसील देवली जिला टोंक (राज.
5. कमलेश कुमार पुत्र भंवरलाल जाति बैरागी निवासी संथली हाल निवासी पटेल नगर देवली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

~~6. किशनलाल पुत्र रघुनाथ दास जाति बैरागी निवासी संथली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)~~

6/1 रतनलाल पुत्र स्व. किशनलाल जाति बैरागी निवासी संथली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

6/2 राधेश्याम पुत्र स्व. किशनलाल जाति बैरागी निवासी संथली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

6/3 गीता पुत्री स्व. किशनलाल जाति बैरागी निवासी संथली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)।

6/4 भगवान पुत्र स्व. किशनलाल जाति बैरागी निवासी संथली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

6/5 शांति देवी पत्नी स्व. किशनलाल जाति बैरागी निवासी संथली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

7. सत्यनारायण पुत्र नन्दराम जाति बैरागी निवासी संथली तहसील देवली जिला टोंक (राज)
8. भूरी बेवा नन्दराम जाति बैरागी निवासी संथली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
9. कैलाशी देवी पत्नी राधेश्याम जाति बैरागी निवासी संथली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
10. आशा पुत्री राधेश्याम जाति बैरागी निवासी संथली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
11. मनीषा पुत्री राधेश्याम जाति बैरागी निवासी संथली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
12. आशा राम पुत्र राधेश्याम जाति बैरागी निवासी संथली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

–वादीगण–

बनाम

4. राजस्थान सरकार जरिए जिला कलेक्टर टोंक (राज.)
5. तहसीलदार साहब तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
6. अतिरिक्त जिला कलेटर टोंक (राज.)

–प्रतिवादीगण–

दावा उदघोषणा इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा 88, 188, 212 टिनेन्सी एक्ट

वाद संख्या 6/2011

9.6.25

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री मनोज कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड धिकारी देवली बहाजरी श्री अशोक कुमार गुप्ता अधिवक्ता वादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू रोकार सरकार मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री दी जाती है

आदेश

वादीगण द्वारा वाद को राजस्व दस्तावेजी व विधिवत साक्ष्यो से साबित नहीं करने के कारण वाद वादीगण खारिज किया जाता है।

निजी...मुवलिक..बाबत् ....
..............................खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक .... की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 09 माह 06 सन् 2025 को जारी किया गया।

दस्तख्त ....
ओहदा ....
उपखण्ड अधिकारी देवली

मुहर

....

मुद्दई	रू.	पै.	मुद्दायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए

Scanned with OKEN Scanner